



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. / 4856 / NR-4 / 03 / 86 / 10 /

भोपाल, दिनांक 12 / 05 / 10

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
जिला पंचायत जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- महात्मा गॉंधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म0प्र0 अन्तर्गत जनरेटर
क्रय करने के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्र क्र. 523 दिनांक 15 / 4 / 2010।

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा
जनरेटर क्रय करने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया था। परिषद् स्तर पर परीक्षण
उपरांत आपको जनरेटर क्रय करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

(सीईओ महोदय द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. राजीव सक्सेना)

संयुक्त आयुक्त (वित्त-लेखा)

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

भोपाल, दिनांक 12 / 05 / 10

पृ.क्र. / 4857 / NR-4 / 03 / 86 / 10 /

प्रतिलिपी :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

समस्त

संयुक्त आयुक्त (वित्त-लेखा)

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्